राजस्थान सरकार

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 04 / 2023

प्रार्थी–

1. श्री पूंजराजसिंह पुत्र श्री हड़मानाराम
2. श्री देवराज पुत्र श्री हड़मानाराम जातियान राजपुरोहित, निवासीयान इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना।
2. श्रीमान परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उम्मेद हैरिटेट जोधपुर। (भारतमाल परियोजना इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोना)

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध देवगढ़– सांचौर–सिवाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455. 243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश क्रमांक 195 दिनांक 09.04.2019 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अवार्ड **क्रमांक 195 दिनांक 09.04.2019** के विरूद्ध दिनांक 09.07.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण / पेव्ड शोल्डर के साथ दो

जिला कलक्टर
बालोतरा

लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 1.9668 (अवाप्त की गई भूमि 0.5567) हैक्टर बीघा मौजा पादरड़ी खुर्द, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरा का अवार्ड भूमि आवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा असिंचित भूमि मानकर आलोच्य अवार्ड **क्रमांक 195 दिनांक 09.04.2019** को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड में संशोधन करते हुए उक्त खसरान की भूमि सिंचित मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। इस कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3जी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 09.04.2019 को पारित किया गया था। पारित भूमि प्रथम गांव पादरड़ी खुर्द के अवार्ड के क्रम संख्या 90 सर्वेक्षण संखय 3 डी के अनुसार खसरा संख्या 292 हितबद्ध काश्तकार श्री देवराज, पुंजराज पिता हड़मानाराम जाति पुरोहित का मुआवजा राशि 6,27,758/–रू बनता है। उक्त भूमि अवार्ड पारित करने से पूर्व अधिग्रहित भूमि की डी एल सी रेट उप पंजीयक सिवाना द्वारा वेल्यूशन रिपोर्ट के मूल्याकंन पर किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य केवलमात्र भम्रिक होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने से खारीज फरवामया जावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। अवाप्तधीन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत अनुमोदन करने के बाद केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को प्रकाशन किया गया। केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 राजपत्र में जारी की गयी एवं दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशन किया गया। धारा 3जी के अनुसार अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3डी की अधिसूचना, जो कि राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर दोनों में प्रकाशित की गयी थी, जिससे सम्बधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी(3) व (4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। निर्धारण अवधि में प्राप्त दावे का निस्तारण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा धारा 3 डी की अधिसूचना का प्रकाशन होने पर अवाप्त भूमि धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में सिंचित होने के संबंध में कोे आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में समक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में अवाप्त भूमि असिंचित भूमि दर्ज थी। धारा 3ए के तत्समय भूमि की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा राशि निर्धारित कर अवार्ड परित किया गया था, व सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया विधि के प्रवधानों के अन्तर्गत सही पारित किया गया है। प्रार्थीगण इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अधिवक्ता प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 1.9668 (अवाप्त की गई भूमि 0.5567) हैक्टर बीघा मौजा पादरड़ी खुर्द, तहसील सिवाना में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलक्टर
बालोतरा

अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण / पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने / चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त अवाप्तसुदा भूमि धारा 3ए का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 एवं धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 5 जून, 2018 को जारी की गई। उक्त अवाप्त सुदा भूमि खसरा संख्या 292 जो कि सिंचित है तथा अन्दर टयूबवैल खुदा हुआ है तथा आधे भू भाग पर अनाज की फसल बोई हुई है, व शेष भूमि पर सिंचाई कर रबी जीरा, राइडा की फसल ली जाती रही है, जो गिरदावरी रिपोर्ट से पूर्णयतया स्पष्ट है। उसके बावलूद भी त्रुटिवंश मुआवजा का अवार्ड पारित करते वक्त भूमि असिंचित सड़क पर होने का कम अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सिंचित होते हुये भी असिंचित का कम अवार्ड पारित किये जाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर 03 फरवरी 2020 को आपति दर्ज करवाई गई। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार को पुनः गणना करने हेतु पत्रावली भेजी गई एवं तहसीलदार, हल्कार पटवारी व आर आई द्वारा उक्त भूमि सिंचित सड़क होने की अनुशंषा की गई व उसी अनुसार सिंचित की दर से अवार्ड पारित करने का लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा कोई किसी प्रकार से उक्त अवार्ड में संशोधन नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को अवगत करवाने के अपरान्त भी उक्त अवार्ड में संशोधन नहीं किया जाकर असिंचित भूमि अवाप्त होना मानते हुये मात्र 6,27,758 रूपये का अवार्ड पारित किया गया,। संवत 2072 में त्रुटिवश असिंचित दर्ज हो गई थी, क्योंकि प्रार्थी पुंजराज सिंह की रीड की हड़डी फेक्चर होने से इलाज हेतु व बेड रेस्ट होने से शारीरिक परिश्रम नहीं करने से सिंचित दर्ज नहीं हो पायी, जिसका फायदा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उठाकर असिंचित की दर से मुआववजा दिया गया है। प्रश्नगत आदेश दिनांक **09.08.2019** नोटीस प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा आपति पेश की गई, उसके बावजुद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त आपति नहीं मानकर असिंचित दर से ही अवार्ड राशि जारी करने से एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सत्यापन करने के बाद उक्त भूमि सिंचित मानते हुये दिनांक **09.02.2021** को संशोधित अवार्ड राशि जारी करने की अनुशंषा करने के बावजूद भी आज दिन तक संशोधित अवार्ड राशि प्राप्त नहीं हुई। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्त सुदा भूमि को असिंचित मानते हुए उक्त अवार्ड जारी हो गया, को निरस्त करते हुए अवाप्त सुदा भूमि को सिंचित मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 1.9668 (अवाप्त की गई भूमि 0.5567) हैक्टर बीघा मौजा पादरड़ी खुर्द, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरा नंबर की 0.5567 हैक्टर बीघा भूमि अवाप्त की गई। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सचित करने हेतु समाचार पत्र राजसथान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित किया गया। धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का प्रकाशन होने के बाद धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपतियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अवाप्तधीन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत अधिसूचना धारा 3डी का मसौदा तैयार बाद अनुमोदन कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। इसके पश्चात् धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का. आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गयी एवं जन साधारण को सूचित करने के लिए दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशन किया गया तथा धारा 3डी की अधिसूचना के पश्चात् उसमें वर्णित भूमि सभी विल्लंग्मों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई। समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व (4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गयें। निर्धारित अवधि में जो दावे प्राप्त हुए, उन्हें सुनकर उनका निस्तारण किया गया

जिला कलक्टर
बालोतरा

है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा धारा 3डी की अधिसूचना का प्रकाशन होने पर आवाप्त भूमि धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में सिंचित होने के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवं धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय में अवाप्तसुदा भूमि की भौतिक स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किस्म (सिंचित/असिंचित) व डीएलसी दर आदि की स्थिति के अनुसार उक्त अवाप्त सुदा भूमि का निर्धारित मुआवजा आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों एवं सारहीन होने पर खारीज योग्य है।

8. प्रार्थी के योग्य अधिवकता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्त भूमि को बिना किसी आधार के सिंचित होने के संबंध में कथन कर रहे है, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में आवाप्त भूमि रेतली भूमि दर्ज थी। प्रार्थीगण ने मद संख्या 4 में अवाप्त भूमि सिंचित होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 03.02.2020 को आपति दर्ज कराये जाने के संबंध में कथन किये है, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 09.04.2019 के पारित होने के लगभग 10 महीनों बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.02.2020 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। धारा 3ए के तत्समय में राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी में आवाप्त भूमि असिंचित भूमि दर्ज थी, जो प्रार्थीगण की जानकारी में थी तथा प्रार्थीगण को स्वीकार थी, इसलिये ही प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपति प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवाप्ति अधिसूचनाओं में वर्णित खसरा नंबर, रकबा भूमि की किस्म व हितबद्ध व्यक्ति का नाम आदि की जांच तहसीलदार, पटवारी हल्का आदि राजसव अधिकारियों/कर्मचारियों से कराये जाने के बाद उक्त अधिसूचनाएं जारी की गई है एवं तद्नुसार ही अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया है। जिसके बाद प्रस्तुत आपति व अवाप्त भूमि को सिंचित भूमि होने की यदि कोई रिपोर्ट दी गई है, तो वह सरासर विधि विरूद्ध होना साबित होती है। ऐसी रिपोर्ट धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार नहीं होकर आपति दर्ज कराये जाने के बाद मौका स्थिति की अनुसार नहीं होकर मौका स्थिति में परिवर्तन कर मिलिभगत से मिथ्या रिपोर्ट तैयार किया

जिला कलक्टर
बालोतरा

जाना प्रतीत होती है, जो कि धारा 3ए के अधिसूचना के तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी से मिलान नहीं करती है। विधिनुसार भूमि की किस्म में परिवर्तन करने की कार्यवाही मध्यस्थ महोदय द्वारा नहीं की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा मद संख्या 5 में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में असिंचित दर्ज थी, यदि उसे प्रार्थीगण त्रुटिवश असिंचित दर्ज होना मानते है, तो प्रार्थीगण को उसे धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने से पहले सक्षम स्तर से सुधरवाया जाना चाहिए था। वर्तमान में उक्त भूमि अवाप्त हो चुकी है व भा रा रा प्रा में निहित हो चुकी है, जिसके कारण किसी भी स्तर पर अवाप्त भूमि की किस्म के संबंध में कार्यवाही किया जना कानूनन संभव नहीं है। भूमि अवार्ड के पैरा संख्या 5 में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार से अधिसूचना में दर्शाये गये खसरो का मौके पर भौतिक सत्यापन सर्वदलों से करवाया गया। जिस पर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें की जांच, भूमि की किस्म आदि की जांच बाद आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त मुआवजा राशि की गणना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में खसरा संख्या 292 में से रेतली बारानी/असिंचित कृषि भूमि अवाप्त की गई, जिसकी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 को प्रभावी दर 59229/– रू प्रतिबीघा यानी 36.5896/– रू प्रतिवर्गमीटर के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित कर भूमि अवार्ड पारित किया है, जो कि सही है। प्रार्थीगण भी प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को ठोस विधिक दस्तावेजी साक्ष्यों से धारा 3ए के अधिसूचना से पूर्व कानूनन रिकॉर्डेड होना साबित कर पाने में पूर्णतः असफल रहे है, इसलिए प्रार्थीगण को स्वयं द्वारा प्रस्तुत सारहीन दस्तावेजों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्त भूमि की प्रकृति, किस्त, स्वामित्व आदि की राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत मुआवजे का अवार्ड जारी किया है, इसलिए प्रार्थीगण असिंचित अवाप्त भूमि का मुआवजा सिंचित दर से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्डके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को

जिला कलक्टर
बालोतरा

सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्डके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के **के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक** के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) हेतु प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि मौजा पादरड़ी खुर्द, तहसील सिवाना के खसरा संख्या 292 रकबा 1.9668 (अवाप्त की गई भूमि 0.5567) बीघा भूमि अवाप्त की गई थी। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित किया गया । अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य आपति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 292 की अवाप्तसुदा भूमि के आलोच्य अवार्ड सिंचित मानकर करना चाहिए था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 समक्ष प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य अवार्ड असिंचित मानते हुए किया गया हैं, को निरस्त करते हुए उक्त खसरान की अवाप्तसुदा भूमि को सिंचित मानकर पुनः अवार्ड जारी किया जाए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तलब किया गया मूल अभिलेख अवलोकन किया जिसमें पत्रावली के संलग्न आलोच्य अवार्ड के पैरा संख्या 5 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार से अधिसूचना में दर्शाये गये खसरो का मौके पर भौतिक सत्यापन सर्वदलों से करवाया गया। जिस पर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें की जांच, भूमि की किस्म आदि की जांच बाद आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त मुआवजा राशि की गणना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में खसरा संख्या 292 में से रेतली बारानी/असिंचित कृषि भूमि अवाप्त की गई, जिसकी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 को प्रभावी दर के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित कर भूमि अवार्ड पारित किया है, जो कि सही है, बताया गया एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी इस कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3जी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 09.04.2019 को पारित होना बताया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी(7)(क) में अंकित अनुसार धारा 3ए के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजर मूल्य, किस्म आदि के अनुसार रकम का अवधारण किया जाता है। उक्त खसरा संबंधित 3ए की अधिसूचना का. आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न चौसाला खसरा गिरदावरी संवत् 2072 से 2075 का अवलोकन किया गया, जिसमें सवंत्

जिला कलक्टर
जालोरा

2072, 2073, 2074 व 2075 दिनांक 03.08.2018 को फसल का नाम बामोठ अंकित करते हुए असिंचित होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जब उक्त खसरा की भूमि 3ए की अधिसूचना जारी दिनांक 03.08.2018 के तहत अवाप्त की गई थी, तब उक्त आलोच्य खसरा संख्या 292 की अवाप्त भूमि असिंचित थी। अलावा इसके प्रार्थीगण द्वारा धारा 3ए एवं 3डी की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। लेकिन प्रार्थीगण ने मद संख्या 4 में अवाप्त भूमि सिंचित होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 03.02.2020 को आपति दर्ज कराये जाने के संबंध में कथन किये है, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 09.04.2019 के पारित होने के लगभग 10 महीनों बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.02.2020 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा **"राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है"**, की पालना नहीं की गई। जहां तक प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन हैं कि प्रार्थी के आवाप्तासुदा भूमि के उक्त खसरा संख्या की भूमि सिंचित थी, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि तत्समय अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी दिनांक 03.08.2018 को प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या के अवाप्तसुदा भूमि सिंचित थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिवाना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 09.04.2019 विधि के अनुरूप एवं पूर्णतया सही पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।
11. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।